

मत्स्य निदेशालय

झारखण्ड, राँची

सं0सं0-म0नि0-IV-लेखा-309/2021-22/ 05 (आ0)/मत्स्य/राँची/दिनांक 23.06.2026

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,

झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची।

विषय-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में माँग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-77-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) अंतर्गत Group Accident Insurance Scheme (GAIS) in convergence with Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY) हेतु मो0 55.84567 लाख (पचपन लाख चौरासी हजार पाँच सौ सड़सठ) रु0 मात्र के निधि का आवंटन।

प्रसंग-

सामान्य स्वीकृत्यादेश सं0 12 रा0 (वि0) दिनांक 19.06.2026 ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 756 तथा आवंटन सं0 34 आ0 (वि0) दिनांक 23.06.2026 ऑन-लाईन आवंटन सं0-1401, 1402 तथा 1403।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक सामान्य स्वीकृत्यादेश सं0 12 रा0 (वि0) दिनांक 19.06.2026 ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 756 तथा आवंटन सं0 34 आ0 (वि0) दिनांक 23.06.2026 ऑन-लाईन आवंटन सं0-1401, 1402 तथा 1403 के आलोक में माँग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-77-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) अंतर्गत Group Accident Insurance Scheme (GAIS) in convergence with Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY) हेतु मो0 55.84567 लाख (पचपन लाख चौरासी हजार पाँच सौ सड़सठ) रु0 मात्र आवंटित किया जाता है। स्वीकृत्यादेश सं0 12 रा0 (वि0) दिनांक 19.06.2026 का अक्षरशः अनुपालन किया जाए।

2. वित्तीय वर्ष 2026-27 में माँग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-77-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) अंतर्गत आवंटन :

क्र0	स्थापना का नाम	(स्टेट टॉप-अप) विस्तृत शीर्ष- 06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता विपत्र कोड- 53X24050010177010649
1	जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची	3253764
कुल योग :		3253764

मो0 बत्तीस लाख तीरपन हजार सात सौ चौसठ रु0 मात्र ।

3. वित्तीय वर्ष 2026-27 में माँग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-77-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) अंतर्गत आवंटन:

क्र०	स्थापना का नाम	(स्टेट टॉप-अप) विस्तृत शीर्ष- 06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता विपत्र कोड- 53X24050078977010649
1	जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची	549102
कुल योग :		549102

मो0 पाँच लाख उन्चास हजार एक सौ दो रु0 मात्र ।

4. वित्तीय वर्ष 2026-27 में माँग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-77-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) अंतर्गत आवंटन:

क्र०	स्थापना का नाम	(स्टेट टॉप-अप) विस्तृत शीर्ष- 06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता विपत्र कोड- 53X24050079677010649
1	जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची	1781701
कुल योग :		1781701

मो0 सतरह लाख इक्यासी हजार सात सौ एक रु0 मात्र ।

तीन लघु शीर्षों में कुल आवंटन : मो0 पचपन लाख चौरासी हजार पाँच सौ सड़सठ रुपये मात्र ।

5. आवंटित राशि की निकासी, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची द्वारा डोरण्डा कोषागार से की जाएगी ।

6. (क) वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्रांक 29/बी.टी.ई.-11/2025-26/285/बजट दिनांक-25.03.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय की अनुमति प्राप्त है ।

- (ख) आवंटित राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि० (2) दिनांक-17.04.1998 वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि०, दिनांक-15.07.2003 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत एवं परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी की जाय ।

05(3110)
23/06/2026

१२

५५

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर विपत्र कोड एवं मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि स्पष्ट रूप से अंकित हो ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके एवं मिलान करने में दिक्कत न हो। वर्ष के प्रत्येक तिमाही का नियमित लेखा मिलान कर त्रुटि निराकरण करना संबंधित DDO का दायित्व होगा।
8. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 475 के आलोक में किया जाये। साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।
9. स्वीकृत्यादेश की कंडिका-8(क) के आलोक में राशि की निकासी करते हुए इस योजना के नोडल एजेंसी NFDB को सीधे हस्तांतरित किया जाएगा।
10. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग, विचलन तथा अनियमित निकासी व व्यय के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
11. योजना में बिना पूर्वानुमति के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक का व्यय न हो, इसका निदेशक, मत्स्य दृढ़ता से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
12. राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि इस प्रयोजनार्थ अन्य स्रोत (जिला/अन्य विभाग/योजना) से राशि प्राप्त नहीं हो रही है।
13. कार्यों का भौतिक/वित्तीय उपलब्धि झारखण्ड सरकार की Website पर Post किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
14. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में भारत सरकार द्वारा इस योजना हेतु निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जाएगा।

अनु0-ऑनलाईन आवंटन

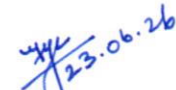
विश्वासभाजन,


(अमरेन्द्र कुमार)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची.

सं0सं0-म0नि0-IV-लेखा-309/2021-22/ 05 (310)/मत्स्य/राँची/दिनांक 23.06.2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा/योजना एवं बजट शाखा, पशुपालन प्रभाग/संयुक्त मत्स्य निदेशक, मत्स्य निदेशालय/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची एवं एन0एफ0डी0बी0 कोषांग, मत्स्य निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23.06.26

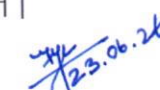
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची.

सं0सं0-म0नि0-IV-लेखा-309/2021-22/ 05 (310)/मत्स्य/राँची/दिनांक 23.06.2026

प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।






23.06.26

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची.



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Fishery Divisio

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - IV/309/26-27/05

दिनांक - 23-Jun-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	X 53 24050010177010649 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 101 - अन्तर्देशीय मछली-पालन 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 01-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 06 - अनुदान	34467	DRNFSH005 JAYANT RANJAN DIST.FISH.OFF.CUM EX.OFFICER 49 - आर्थिक सहायता	3,253,764.00 रुपये बत्तीस लाख तीरपन हजार सात सौ चौसठ
	State Scheme : PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA(1848) Central Scheme : PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA (PMMSY)(3890)			
2	X 53 24050078977010649 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 01-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 06 - अनुदान	34469	DRNFSH005 JAYANT RANJAN DIST.FISH.OFF.CUM EX.OFFICER 49 - आर्थिक सहायता	549,102.00 रुपये पाँच लाख उनचास हजार एक सौ दो
	State Scheme : PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA(1848) Central Scheme : PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA (PMMSY)(3890)			
3	X 53 24050079677010649 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 01-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 06 - अनुदान	34471	DRNFSH005 JAYANT RANJAN DIST.FISH.OFF.CUM EX.OFFICER 49 - आर्थिक सहायता	1,781,701.00 रुपये सत्रह लाख इक्क्यासी हजार सात सौ एक
	State Scheme : PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA(1848) Central Scheme : PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA (PMMSY)(3890)			

योग:

क्रमिक योग:

रुपये पचपन लाख चौरासी हजार पाँच सौ सड़सठ

5,584,567.00

(AMARENDRA KUMAR)
DIRECTOR FISHERIES

वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि की विवरणी :-

मॉग सं० - 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-2405 - मछली-पालन & 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना & 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

मुख्य शीर्ष-2405 - मछली-पालन & 101 - अन्तर्देशीय मछली-पालन & 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

मुख्य शीर्ष-2405 - मछली-पालन & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग योजना & 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	53X24050010177010649	53X24050078977010649	53X24050079677010649	Total
1	2	3	4	5	आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता	9
1	Doranda	DRNFSH005	Jayant Ranjan	Dist.Fish.Off.Cum Ex.Officer	₹32,53,764.00 (34467)	₹5,49,102.00 (34469)	₹17,81,701.00 (34471)	₹55,84,567.00

कुल आवंटित राशि :- ₹55,84,567.00 (ipiu yk[k pkSjklh gtkj ikWp lkS IM+IB) रूपये मात्र ।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए

05(310)
23/6/2026

23/06/26
(AMARENDRA KUMAR)
DIRECTOR FISHERIES